

## श्री अरविन्द महाविद्यालय

दिनांक: 08.04.2019

### अधिसूचना

सभी गैर-शैक्षणिक स्थायी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने हेतु सभी कर्मचारी अपना व अपने (आश्रितों) परिवार के सदस्यों का पहचान-पत्र (MEDICAL TREATMENT DIRECT PAYMENT IN HOSPITAL IDENTITY CARD) बनवाने के लिये अपने परिवार के सदस्यों सहित (आश्रितों सहित) एक नवीनतम फोटो के साथ श्री तरूण कुमार, प्रशासनिक अधिकारी कक्ष में दिनांक (शुक्रवार) 03.05.2019 तक सम्पर्क करें।

  
विपिन कुमार

प्राचार्य  
  
8.4.19